


1517 155

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल खण्डपीठ, रीवा (म0प्र0)

RS191 III 115



As-301-

- 1- श्री सुखनन्दन तनय स्वामीदीन
- 2- श्री रामनरेश तनय स्वामीदीन
- 3- श्रीमती दुनिया पत्नी स्वामीदीन
- 4- श्रीमती कैलाशिया पुत्री स्वामीदीन
- 5- श्रीमती लक्ष्मीनिया पुत्री स्वामीदीन
- 6- श्री जोखू तनय बुद्धसेन

श्री सुखनन्दन  
द्वारा आवेदन दिनांक 24.11.15  
प्रस्तुत किया गया  
[Signature]

सभी निवासी ग्राम खरमसेड़ा, तह0-अमरपाटन, जिला सतना (म0प्र0)

आवेदकगण

विरुद्ध

श्री भगवानदीन पटेल तनय कालू पटेल, निवासी ग्राम खरमसेड़ा,  
तह0-अमरपाटन जिला सतना (म0प्र0) अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) म0प्र0

भू-राजस्व संहिता 1959 ई0

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद  
अधिनियम सन् 1963 ई0

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :-

- 1- यह कि संदर्भित प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन था जो दिनांक 15/09/2015 को अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है, जिसको पुनः स्थापित करने का आवेदन दिया जा रहा है । जो आवेदन 30 दिन की अवधि के अंदर नहीं है ।

- 2- यह कि निगरानी प्रकरण निगरानीकर्ता/आवेदकगण की ओर से

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

R-5191-II/15 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-8

मामला क्र०-5191-II/15

जिला-सतना

सुखनन्दन वगैर/भगवानदीन पटेल

(1)	(2)	(3)
16.05.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol>	 सदस्य